

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस

मि०न० - 40/2021

अनवान :-

1. भूपसिंह पुत्र शेराराम जाति कुम्हार निवासी छानीबडी तहसील भादरा।

:-वादी

बनाम

1. रामचंद्र पुत्र पीरूराम जाति जाट निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
2. रूलीचंद पुत्र देईराम जाति जाट निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
3. अनीता पत्नी सोमपाल जाति जाट निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
4. सरोज पत्नी विश्वमोहन जाति जाट निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेन्द्र गोयल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक विभाजन डिक्री किया जाता है तथा अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाकर पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

वादी भूपसिंह पुत्र शेराराम जाति कुम्हार साकिन छानीबडी खातेदार :- रोही मौजा चक 5 सीएचएन के मु० न० 28 के किला न० 24 व 25 प्रत्येक की 0.253है० नहरी मु० न० 49 के किला न० 4 की 0.253है० नहरी, किला न० 5/1 की 0.239है० नहरी, किला न० 7 की 0.253है० नहरी कुल रकबा 1.251है० नहरी।

प्रतिवादी सं० 1 रामचंद्र पुत्र पीरूराम जाति जाट साकिन छानीबडी खातेदार :- रोही चक 5 सीएचएन के मु० न० 49 के किला न० 8 की 0.253है० नहरी कुल रकबा 0.253है० नहरी।


प्रतिवादी सं० 2 रूलीचंद पुत्र देईराम जाति जाट साकिन छानीबडी खातेदार :- रोही चक 5 सीएचएन के मु० न० 28 के किला न० 16 की 0.253है० नहरी कुल रकबा 0.253है० नहरी।

प्रतिवादी सं० 3 अनीता पत्नी सोमपाल हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी सं० 4 सरोज पत्नी विश्वमोहन हिस्सा 1/2 साकिन छानीबडी खातेदार :- रोही चक 5 सीएचएन के मु० न० 49 के किला न० 5/2 की 0.014है० नहरी, किला न० 6 की 0.253है० नहरी, किला न० 13/1 की 0.240है० नहरी किला न० 13/2 की 0.013है० गै०मु० रास्ता (पश्चिम से पूर्व की ओर उत्तर दिशा) किला न० 14/1 की 0.252है० नहरी किला न० 14/2 की 0.001है० गै०मु० रास्ता (पश्चिम से पूर्व की ओर उत्तर दिशा) किला न० 15 की 0.253है० नहरी किला न० 16 ता 18 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी कुल रकबा 1.785है० जिसमें नहरी 1.771है० एवं गै०मु० रास्ता 0.014है०।

उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/1/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय भादरा से जारी की गई




(कल्पित शिवरान)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिलाहनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस

गि0न0 - 40/2021

अनवान : -



1. भूपसिंह पुत्र शेराराम जाति कुम्हार निवासी छानीबडी तहसील भादरा।

:-वादी

बनाम

1. रागचंद्र पुत्र पीरूराम जाति जाट निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
2. रूलीचंद पुत्र देईराम जाति जाट निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
3. अनीता पत्नी सोमपाल जाति जाट निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
4. सरोज पत्नी विश्वमोहन जाति जाट निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा

53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री राजेन्द्र गोयल वादीगण

निर्णय

दिनांक: 15/1/25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 5 सीएचएन के खाता सं0 90/82 के मु0 न0 28 के किला न0 16, 24, 25 प्रत्येक किला की 0.253है0, मु0 न0 49 के किला न0 4 ता 8, 13 ता 18 प्रत्येक की 0.253है0 कुल 3.5420है0 नहरी खातेदारी में वादी भूपसिंह के नाम 5/14 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 रामचंद्र के नाम 1/14 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 रूलीचंद के नाम 1/14 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 अनिता के नाम 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 4 सरोज के नाम 1/4 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में संयुक्त मुश्तर्का की खातेदारी दर्ज है।

वाद भूमि का काफी अर्सा पहले वाहमी बंटवारा हो गया था, जिसमें पक्षकारान के द्वारा अपने-अपने हिस्सा में आई भूमि को अलग-अलग काश्त करना शुरू कर दिया तथा उनका अलग से खेत व सींव डोल बने हुये है। राजस्व रिकॉर्ड में कुल भूमि मुश्तर्का खातेदारी दर्ज होने से माल, लगान आदि को लेकर विवाद बना रहता है। इसलिये वादी भूमि का खाता तकसीम अलग करवाना चाहता है, यह ही बिनाय मुखारमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 3 व 4 की रजिस्टर्ड डाक से तामिल करवाई गई। तामिल उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं होने के कारण प्रतिवादी सं0 3 व 4 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने निवेदन किया कि पक्षकारान के हिस्सा अनुसार मुताबिक अनुतोष के विवादित भूमि का खाता व लगान अलग से कायम किया जावे जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने सहमती प्रकट की।

Kuljit
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
जिला-हनुमानगढ़

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की वहरा पर गनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने रोही गौजा चक 5 सीएचएन के खाता सं० 90/82 के मु० न० 28 के किला न० 16, 24, 25 प्रत्येक किला की 0.253है०, मु० न० 49 के किला न० 4 ता 8, 13 ता 18 प्रत्येक की 0.253है० कुल 3.5420है० नहरी खातेदारी में वादी भूपसिंह के नाम 5/14 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 1 रामचंद्र के नाम 1/14 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 2 रूलीचंद के नाम 1/14 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 3 अनीता के नाम 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 4 सरोज के नाम 1/4 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में संयुक्त मुश्तर्का खातेदारी दर्ज है में खाता विभाजन अलग-अलग करवाने हेतु निवेदन किया है। अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव लीकी किया जाकर पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

वादी भूपसिंह पुत्र शेराराम जाति कुम्हार साकिन छानीबडी खातेदार :- रोही गौजा चक 5 सीएचएन के मु० न० 28 के किला न० 24 व 25 प्रत्येक की 0.253है० नहरी मु० न० 49 के किला न० 4 की 0.253है० नहरी, किला न० 5/1 की 0.239है० नहरी, किला न० 7 की 0.253है० नहरी कुल रकबा 1.251है० नहरी।

प्रतिवादी सं० 1 रामचंद्र पुत्र पीरूराम जाति जाट साकिन छानीबडी खातेदार :- रोही चक 5 सीएचएन के मु० न० 49 के किला न० 8 की 0.253है० नहरी कुल रकबा 0.253है० नहरी।

प्रतिवादी सं० 2 रूलीचंद पुत्र देईराम जाति जाट साकिन छानीबडी खातेदार :- रोही चक 5 सीएचएन के मु० न० 28 के किला न० 16 की 0.253है० नहरी कुल रकबा 0.253है० नहरी।

प्रतिवादी सं० 3 अनीता पत्नी सोमपाल हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी सं० 4 सरोज पत्नी विश्वमोहन हिस्सा 1/2 साकिन छानीबडी खातेदार :- रोही चक 5 सीएचएन के मु० न० 49 के किला न० 5/2 की 0.014है० नहरी, किला न० 6 की 0.253है० नहरी, किला न० 13/1 की 0.240है० नहरी किला न० 13/2 की 0.013है० गै०मु० रास्ता (पश्चिम से पूर्व की और उत्तर दिशा) किला न० 14/1 की 0.252है० नहरी किला न० 14/2 की 0.001है० गै०मु० रास्ता (पश्चिम से पूर्व की और उत्तर दिशा) किला न० 15 की 0.253है० नहरी किला न० 16 ता 18 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी कुल रकबा 1.785है० जिसमें नहरी 1.771है० एवं गै०मु० रास्ता 0.014है०।

उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुरत किया जावे। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15/11/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Kalpit
(कल्पित शिवरान)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) U.A.S
उपखण्ड (अधिकारी) (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़